

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

कमॉक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/18-19/गुप-9/5102-216 दिनांक 29-11-18


संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
जयपुर/भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर/जालौर/
बीकानेर/श्रीगंगानगर/भीलवाडा/सीकर/कोटा ।

विषय:- दिनांक 31-03-2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि
अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके तथा आपके अधिनस्थ (उधान विभाग/आ.
जी.एन.पी/सी.ए.डी सहित) कार्यालयों में दिनांक 31-03-2020 तक की अवधि में
सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की निम्न प्रपत्र मे सूचना इकजाई कर
इकजाई सूचनां आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का श्रम करें ।

प्रपत्र


क स.	कार्यालय का नाम	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जन्म तिथि (सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक का पदस्थापन विवरण	सी.सी.एस.नियम 16 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	सी.सी.एस.नियम 19 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	कोई न्यायिक कार्यवाहियों लम्बित है या नहीं की सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9


(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमॉक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/18-19/गुप-9/5102-216 दिनांक 29-11-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निदेशक, उधान विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 2- समस्त उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद.....33..... ।
- 3- समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि)70..... ।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)